रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 464] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 28, 2006/आश्विन 6, 1928

No. 464] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 28, 2006/ASVINA 6, 1928

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2006

सा.का.नि. 600(अ).— वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 की अपेक्षानुसार नागर विमानन मंत्रालय की दिनांक 19 जुलाई, 2006 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.434 (अ) के द्वारा वायुयान (संशोधन) नियम, 2006 का प्रारूप प्रकाशित किया गया था, जिसके द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के उस राजपत्र की, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां, दिनांक 20 जुलाई, 2006 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप पर जनता से कोई भी आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त वायुयान अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायुयान नियम 1937 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (खतरनाक माल का वहन) संशोधन नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान (खतरनाक माल का वहन) नियम 2003 में, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में;

(i) उपखंड (5) में, " तथा उसके अंतर्गत आयुध, मिलिट्री भंडार, युद्धउपकरण और युद्ध सामग्री भी है" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(ii) उपखंड (16) के पश्चात, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

'(16क)" मूल राज्य" से वह राज्य अभिप्रेत है जिसके राज्य क्षेत्र में वायुयान पर पहली बार खतरनाक माल लादा गया था ।'

3. उक्त नियमों के, नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थातः-

" 3. **खतरनाक माल का वायुयान द्वारा वहन.** - (1) कोई प्रचालक खतरनाक माल का वहन तब तक नहीं करेगा जब तक कि प्रचालक के राज्य के वैमानिक प्राधिकरण द्वारा खतरनाक माल ले जाने के लिए उसे प्रमाणित न कर दिया गया हो।"

(2) कोई प्रचालक और कोई भी व्यक्ति तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार व उनके अध्यधीन के सिवाय भारत को उससे, उसके भीतर या उसके ऊपर किसी भी वायुयान में कोई खतरनाक माल नहीं ले जाएगा या नहीं ले जाने देगा या ले जाने की अनुज्ञा नहीं देगा या ऐसे वायुयान पर लदान के लिए परिदत नहीं करेगा या परिदत नहीं करने देगा:

परन्तु जहाँ रेडियोधर्मी सामग्री के रूप में वर्गीकृत खतरनाक माल किसी वायुयान द्वारा भारत को, उससे या उसके भीतर ले जाया जाना है, वहां प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि यथास्थिति परेषक या परेषिती, ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) की धारा 16 के अधीन ऐसे माल को ले जाने के लिए केन्द्रीय सरकार से लिखित सहमति ले ली है।

परन्तु यह और कि जहाँ पर अत्यंत आपातकालीन स्थिति हो जैसे कि राष्ट्रीय या अन्तरराष्ट्रीय संकट या प्राकृतिक आपदा या अन्यथा ऐसे माल के विमान द्वारा परिवहन की आवश्यकता हो और तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के पूरे अनुपालन से लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त महानिदेशक या अन्य कोई प्राधिकृत अधिकारी लिखित रूप में साधारण या विशेष आदेश द्वारा इन अपेक्षाओं के अनुपालन में छूट प्रदान कर सकता है परन्तु वह इस बात का समाधान करता है कि ऐसे माल को ले जाने में सुरक्षा संबंधी उस व्यापक स्तर को पूरा करने का प्रयास किया गया है जो तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट सुरक्षा स्तर के समकक्ष है ।

(3) उपनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वस्तुएँ और पदार्थ जो तकनीकी अनुदेशों में नाम या जातीय वर्णन द्वारा किसी भी स्थिति में वायुयान द्वारा ले जाने के लिए निषिद्ध के रूप में पहचाने गए हैं, उन्हें किसी वायुयान में नहीं ले जाया जाएगा ।

(4) उपनियम (1) और (2) के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे -

(क) वस्तुएँ और पदार्थ, जिन्हें खतरनाक माल के रूप में वर्गीकृत किया गया है, किन्तु उपयुक्त उड़नयोग्यता अपेक्षाओं और प्रचालन विनियमों, या ऐसे विशेष प्रयोजनों के लिए जो तकनीकी अनुदेशों में निर्दिष्ट है, के अनुसार वायुयान पर लादना अन्यथा अपेक्षित है।

(ख) तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट सीमा तक यात्रियों या उड़ान कर्मीदल सदस्यों द्वारा ले जाये जाने वाले विशिष्ट सामग्री व सामान ।

(5) जहाँ खतरनाक माल का वहन उपनियम (2) के अधीन ले जाया जाता हो, वहां माल ले जाने वाले, प्रचालन और प्रत्येक व्यक्ति जो पैकिंग, चिन्हित करेगें, लेबल लगाने,स्वीकार करने, हथालने लादने, उतारने, भण्डारण करने, परिवहन या ऐसे खतरनाक माल के वहन से प्रत्यक्षतः अवरोक्षतः संबंधित अन्य किसी प्रक्रिया करने से संबंधित है, वायुयान या उसमें व्यक्तियों या अन्य व्यक्तियों या संपत्ति के खतरे को टालने के लिए सभी सावधानियां बरतेगा ।"

4. उक्त नियमों में, नियम 4 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात-

"4 क. खतरनाक माल का वर्गीकरण - खतरनाक माल का वर्गीकरण तकनीकी अनुदेशों के उपबन्धों के अनुसार होगा ।"

5. उक्त नियमों में, नियम 5 में, उपनियम (4) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियमों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"(4क) पैकिंग, तकनीकी अनुदेशों में निहित सामग्री तथा विनिर्माण विनिर्देशों को पूरा करेगी ।

(4ख) पैकिंग की जाँच तकनीकी अनुदेशों के उपबन्धों के अनुसार की जाएगी ।

(4ग) पैकिंग, जिसके लिए द्रव्य अवधारण मूल कार्य है, उसमें तकनीकी अनुदेशों में विनिर्दिष्ट दाब पर बिना रिसाव के धारण करने को सक्षम होगा ।"

6. उक्त नियमों में, नियम 7 में, उपनियम (2) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

" (3) खतरनाक माल के चिन्हांकन के लिए मूल राज्य द्वारा अपेक्षित भाषाओं के अतिरिक्त, अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाएगा ।"

7. उक्त नियमों में, नियम 8 में, --

(i) उपनियम (3) में, " माल भेजने वाले द्वारा हस्ताक्षरित " शब्दों के स्थान पर " माल भेजने वाले या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित " शब्द रखे जाएंगें ।

(ii) उपनियम (3) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

" (4) खतरनाक माल परिवहन दस्तावेज में मूल राज्य द्वारा अपेक्षित भाषाओं के अतिरिक्त, अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाएगा।"

8. उक्त नियमों में, नियम 10 में, उपनियमों (6) और (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियमों को रखा जाएगा, अर्थातः-

" (6) किसी वायुयान दुर्घटना या गंभीर घटना की दशा में, जहाँ स्थौरा के रूप में खतरनाक माल ले जाया जा रहा हो, वायुयान का प्रचालक इसकी सूचना दुर्घटना या गंभीर घटना होने पर कार्रवाई करने वाली आपातकालीन सेवाओं को अविलम्ब देगा और जैसा कि पायलट-इन-कमांड को लिखित सूचना में दर्शित किया है , वायुयान पर खतरनाक माल के बारे में जितनी जल्दी संभव हो सके, प्रचालक के राज्य तथा राज्य जहाँ दुर्घटना या गंभीर घटना घटी हो, के उपयुक्त प्राधिकारियों को सूचित करेगा ।

(7) किसी वायुयान घटना की दशा में, स्थौरा के रूप में खतरनाक माल को ले जाने वाला वायुयान का प्रचालक, अनुरोध पर बिना विलम्ब इसकी सूचना घटना की स्थिति में कार्य करने वाली आपातकालीन सेवाओं को देगा और पायलट-इन-कमांड को दर्शायी गई लिखित सूचना के अनुसार, वायुयान पर खतरनाक माल के बारे में, राज्य जहाँ घटना घटी हो, के उपयुक्त प्राधिकारी को भी, सूचित करेगा ।"

9. उक्त नियमों में नियम 10 के बाद निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, नामशः-

"10क, निरीक्षण.- (1) केन्द्रीय सरकार, साधारण या लिखित में विशेष आदेश द्वारा, महानिदेशक या कोई अन्य प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी उपयुक्त समय पर किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकते हैं, जहाँ तक उसका प्रवेश आवश्यक है और किसी भी सेवा, उपस्कर, दस्तावेजों और अभिलेखों का निरीक्षण करके निमित्त प्राधिकृत कर सकेगी।

(2) इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्तियों, प्रचालक, माल ले जाने वाले, प्रशिक्षण स्थापन और खतरनाक माल के वहन से संबद्ध प्रत्येक अन्य व्यक्ति, इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति को

वायुयान, भवन के किसी भी भाग में प्रवेश करने, या उपस्कर, अभिलेखों, दस्तावेजों और कार्मिकों सहित अन्य सुविधा की जाँच की अनुज्ञा देगा और इन नियमों के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए या अपने कर्तव्यों का निवर्हन करते हुए सहयोग देगा।"

10. उक्त नियमों में, नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"11. **खतरनाक माल की दुर्घटनाएं एवं घटनाएं**-(1) यथास्थिति, खतरनाक माल की दुर्घटना या खतरनाक माल की घटना, की दशा में वायुयान का पायलट-इन-कमांड और वायुयान या विमान क्षेत्र का प्रचालक ऐसी दुर्घटना या घटना होने पर महानिदेशक को लिखित रूप में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) उपनियम (1) के अंतर्गत इस रिपोर्ट में किसी अन्य संबद्ध सूचना के अतिरिक्त निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित होगी, अर्थात्

(क) वायुयान का टाइप, राष्ट्रीयता और रजिस्ट्रीकरण चिन्ह ;
(ख) वायुयान के स्वामी का नाम, प्रचालक और भाड़े पर लेने वाले का नाम ;
(ग) वायुयान के पायलट-इन-कमांड का नाम;
(घ) उड़ान का स्वरूप और प्रयोजन;
(ड.) खतरनाक माल की दुर्घटना या घटना की तारीख और समय;
(च) स्थान जहाँ पर दुर्घटना घटित हुई;
(छ) वायुयान के प्रस्थान का अंतिम बिंदु और अभिप्रेत अवतरण का अगला बिंदु;
(ज) वायुयान में रखे गए खतरनाक माल का ब्यौरा अर्थात उनका उचित पोत परिवहन नाम, यू एन संख्या, मात्रा इत्यादि;
(झ) खतरनाक माल की दुर्घटना या घटना का ज्ञात कारण;
(ञ) वायुयान में रखे गए अन्य स्थौरा का ब्यौरा;
(ट) वायुयान, अन्य सम्पत्ति एवं विमान में सवार यात्रियों को हुई ज्ञात क्षति की सीमा;
(ठ) महानिदेशक द्वारा सम्मिलित की जाने योग्य अपेक्षित अन्य कोई सूचना ।

(3) उपनियम (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर महानिदेशक, यदि आवश्यक समझें, तो ऐसी दुर्घटना या घटना के कारणों के निर्धारण हेतु जाँच का आदेश दे सकते हैं और ऐसी दुर्घटना या घटना की पुनरावृत्ति से बचाव के लिए निवारक उपाय कर सकेगा ।"

11. उक्त नियमों में, नियम 12, उपनियम (2) में, उपखंड (क) से (छ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामशः-

" (क) खतरनाक माल को भेजने वाले जिसके अंतर्गत पैकर्स और व्यक्तियों या माल भेजने वाले का उत्तरदायित्व लेने वाले संगठन भी हैं ।

(ख) प्रचालक ;

(ग) भू-प्रबंधन अभिकरण, जो प्रचालक की ओर से स्थौरा को स्वीकार करने, हथालने, लदाई करने, उतारने, अंतरण करने या अन्य प्रक्रियाओं का कार्य करते हैं ;

(घ) विमाननक्षेत्र पर अवस्थित भू-प्रबंधन अभिकरण, जो प्रचालक की ओर से यात्रियों के संबंध में प्रक्रिया करने का कार्य करते हैं ;

(ड.) ऐसे अभिकरण जो विमाननक्षेत्र में अवस्थित नहीं है और जो प्रचालक की ओर से यात्रियों की जाँच करने का कार्य करते हैं;

(च) माल अग्रेषणकर्ता; और

(छ) यात्रियों और उनके सामान तथा स्थौरा की सुरक्षा स्क्रीनिंग में लगे अभिकरण ।"

12. उक्त नियमों में नियम 14 के पश्चात निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"**15.लाइसेंस, प्रमाण पत्र और अनुमोदन का रद्दकरण या निलंबन** - जहाँ महानिदेशक का सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात यह समाधान हो जाता हैं कि किसी व्यक्ति ने इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन, या का पालन करने में असफल रहा है तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए इन नियमों या वायुयान नियमावली, 1937 के अंतर्गत जारी किए गए किसी भी लाइसेंस, प्रमाण पत्र या अनुमोदन को रद या निलंबित कर सकेगा ।"

[फा. सं. ए वी. 11012/2/2006-ए]

आर. के. सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पणः- मूल नियम अधिसूचना सं.सा.का.नि. 206 (अ) तारीख 5 मार्च, 2003 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात वर्ती संशोधन सा.का.नि. संख्या 795 (अ) तारीख 6 अक्टूबर, 2003 और सा.का.नि. संख्या 796 (अ) तारीख 6 अक्टूबर, 2003 द्वारा किए गए ।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2006

G.S.R. 600(E).— Whereas, the draft of proposal to amend the Aircraft (Amendment) Rules, 1937 was published by the Ministry of Civil Aviation vide notification number G.S.R. 434(E), dated the 20th July, 2006 as required by section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22of 1934), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to public;

And whereas copies of the said notification were made available to the public on the 20th July, 2006;

And whereas no objections or suggestions have been received from the public on the said draft;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the said Aircraft Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely: -

1. (1) These rules may be called the Aircraft (Carriage of Dangerous Goods) Amendment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft (Carriage of Dangerous Goods) Rules, 2003 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2,-

(i) in clause (5), the words ",and also includes arms, military stores, implements of war and munitions of war" shall be omitted.

(ii) after clause (16), the following clause shall be inserted, namely:-

'(16A) "State of origin" means the State in the territory of which the dangerous goods were first loaded on an aircraft.'

3. In the said rules, for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

"3. Carriage of dangerous goods by air. – (1) No operator shall engage in the carriage of dangerous goods unless it has been certified by the aeronautical authority of the State of the operator to carry the dangerous goods.

(2) No operator shall carry and no person shall cause or permit to be carried in any aircraft to, from, within or over India or deliver or cause to be delivered for loading on such aircraft any dangerous goods, except in accordance with and subject to the requirements specified in the Technical Instructions:

Provided that where dangerous goods classified as radioactive material are to be carried in any aircraft to, from or within India, the operator shall ensure that the consignor or the consignee, as the case may be, has written consent of the Central Government to carry such goods under section 16 of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962).

Provided further that where there is extreme emergency such as national or international crisis or natural calamities or otherwise necessitating transportation by air of such goods and full compliance with the requirements specified in the Technical Instructions may adversely affect the public interest, the Director-General or any other officer authorised in this behalf by the Central Government may, by general or special order in writing, grant exemption from complying with these requirements provided that he is satisfied that every effort has been made to achieve an overall level of safety in the transportation of such goods which is equivalent to the level of safety specified in the Technical Instructions.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), the articles and substances that are specifically identified by name or by generic description in the Technical Instructions as being forbidden for transport by air under any circumstances, shall not be carried on any aircraft.

(4) The provisions of sub-rules (1) and (2) shall not apply to-

(a) the articles and substances classified as dangerous goods but otherwise required to be on board the aircraft in accordance with the pertinent airworthiness requirements and the operating regulations, or for such specialised purposes as are identified in the Technical Instructions.

(b) specific articles and substances carried by passengers or crew members to the extent specified in the Technical Instructions.

(5) Where dangerous goods are carried under sub-rule (2), it shall be the duty of the shipper, the operator and every person concerned with packing, marking, labelling, acceptance, handling, loading, unloading, storage, transportation or any other process connected directly or indirectly with carriage of such dangerous goods, to take all precautions to avoid danger to the aircraft or to the persons on board or to any other person or property."

4. In the said rules, after rule 4, the following rule shall be inserted, namely: -

"4A. Classification of Dangerous goods – The dangerous goods shall be classified in accordance with the provisions of the Technical Instructions."

5. In the said rules, in rule 5, after sub-rule (4), the following sub-rules shall be inserted, namely: -

"(4A) Packagings shall meet the material and construction specifications contained in the Technical Instructions.

(4B) Packagings shall be tested in accordance with the provisions of the Technical Instructions.

(4C) Packagings for which retention of a liquid is a basic function, shall be capable of withstanding, without leaking, the pressure specified in the Technical Instructions."

6. In the said rules, in rule 7, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(3) In addition to the languages required by the State of origin, English shall also be used for the markings related to dangerous goods."

7. In the said rules, in rule 8,–

(i) in sub-rule (3), for the words "signed by the shipper", the words "signed by the shipper or his agent" shall be substituted.

(ii) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(4) In addition to the languages required by the State of origin, English shall also be used in the dangerous goods transport document."

8. In the said rules, in rule 10, for sub-rules (6) and (7), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

"(6) In the event of an aircraft accident or a serious incident where dangerous goods carried as cargo are involved, the operator of the aircraft shall provide information, without delay, to the emergency services responding to the accident or serious incident, and, as soon as possible, to the appropriate authorities of the State of the operator and the State in which the accident or serious incident occurred, about the dangerous goods on board, as shown on the written information to the pilot-in-command.

(7) In the event of an aircraft incident, the operator of an aircraft carrying dangerous goods as cargo shall, upon request, provide information, without delay, to the emergency services responding to the incident and also to the appropriate authority of the State in which the incident occurred, about the dangerous goods on board, as shown on the written information to the pilot-in-command."

9. In the said rules, after rule 10, the following rule shall be inserted, namely:-

"10A. Inspection. – (1) The Director-General or any other officer authorised in this behalf by the Central Government by general or special order in writing, may, at any reasonable time, enter any place to which access is necessary and inspect any services, equipment, documents and records.

(2) The operator, shipper, training establishment and every other person concerned with carriage of dangerous goods shall allow the person so authorised, access to any part of the aircraft, building or any facility including equipment, records, documents and personnel, and shall co-operate in exercising his powers or carrying out his duties under these rules."

10. In the said rules, for rule 11, the following rule shall be substituted, namely:–

"11. Dangerous Goods Accidents and Incidents – (1) In the event of a dangerous goods accident or dangerous goods incident, as the case may be, the pilot-in-command of the aircraft and the operator of the aircraft or of the aerodrome, as the case may be, shall submit a report in writing to the Director-General on such accident or incident.

(2) The report under sub-rule (1) shall, in addition to any other relevant information, contain the following information, namely: -

(a) the type, nationality and registration marks of aircraft;
(b) the name of the owner, operator and hirer of the aircraft;
(c) the name of the pilot-in-command of the aircraft;
(d) the nature and purpose of the flight;
(e) the date and time of the dangerous goods accident or incident;
(f) the place where the accident occurred:
(g) the last point of departure and the next point of intended landing of the aircraft;
(h) the details of the dangerous goods on board the aircraft viz. their proper shipping name, UN number, quantity etc.
(I) the known cause of the dangerous goods accident or incident;
(J) details of other cargo on board the aircraft;
(k) the extent of known damage to the aircraft, other property and persons on board the aircraft;
(l) any other information required to be included by the Director-General.

(3) On receipt of the report under sub–rule (1), the Director-General may, if considered necessary, order an investigation to determine the causes of such accident or incident and take preventive measures to avoid re-occurrence of such accident or incident."

11. In the said rules, in rule 12, sub–rule (2), for clauses (a) to (g), the following clauses shall be substituted, namely:–

"(a) shippers of dangerous goods including packers and persons or organizations undertaking the responsibilities of the shipper;

(b) operators;

(c) ground handling agencies which perform, on behalf of the operator, the act of accepting, handling, loading, unloading, transferring or other processing of cargo;

(d) ground handling agencies located at an airport which perform, on behalf of the operator, the act of processing passengers;

(e) agencies, not located at an airport, which perform, on behalf of the operator, the act of checking in passengers;

(f) freight forwarders; and

(g) agencies engaged in the security screening of passengers and their baggage, and cargo."

12. In the said rules, after rule 14, the following rule shall be inserted, namely:–

"15. Cancellation or suspension of licence, certificate and approval – Where the Director-General, after giving an opportunity of being heard, is satisfied that any person has contravened or failed to comply with the provisions of these rules, he may, for reasons to be recorded in writing, cancel or suspend any licence, certificate or approval issued under these rules or under the Aircraft Rules, 1937."

[F. No. AV. 11012/2/2006-A]

R. K. SINGH, Jt. Secy.

Note.— The principal rules were published vide notification number G.S.R. 206 (E) dated the 5th March, 2003 and was subsequently amended vide number G.S.R. 795(E), dated 6th October, 2003 and number G.S.R. 796(E), dated the 6th October, 2003.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2006

सा.का.नि. 601(अ).— वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 की अपेक्षानुसार नागर विमानन मंत्रालय की दिनांक 20 जुलाई, 2006 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.433 (अ) के द्वारा वायुयान (संशोधन) नियम, 2006 का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया था, जिसके द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के उस राजपत्र की जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां, दिनांक 20 जुलाई, 2006 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप पर जनता से कोई भी आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त वायुयान अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वायुयान नियम 1937 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (..... संशोधन) नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान नियम, 1937 में, नियम 7ख के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

" **8. आयुध,गोला-बारूद, युद्ध सामग्री, विस्फोटक, सैनिक सामग्री आदि का वहन-** (1) कोई भी व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार की लिखित अनुज्ञा के सिवाय तथा ऐसी अनुज्ञा के निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, कोई आयुध, गोला बारूद, युद्ध सामग्री, युद्धोपकरण, विस्फोटक और सैनिक सामग्री को किसी वायुयान में भारत को, भारत से, भारत के भीतर, या उसके ऊपर वहन नहीं करेगा, या वहन नहीं कराएगा और वहन करने की अनुज्ञा नहीं देगा ।

(2) जहाँ किसी माल का वहन उपनियम (1) के अंतर्गत अनुज्ञात है, वहाँ पायलट, परेषक और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसे माल की बुकिंग, संभाल या वहन से संबद्ध है, का यह कर्तव्य होगा कि

वह वायुयान को या उसमें सवार व्यक्तियों या किसी अन्य व्यक्ति या सम्पत्ति को खतरे से बचाने और विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त पूर्ववधानियां बरतें कि -

(क) माल को इस प्रकार पैक, संरक्षित् और सुरक्षित किया गया है जिससे उस माल के किसी खतरे का स्रोत बनने की संभावना से बचा जा सके ;

(ख) माल को इस प्रकार ले जाया जाता है जिससे कि वायुयान के यात्रियों की पहुँच उस तक न हो सके ; और

(ग) माल की प्रकृति को स्पष्ट रूप से और सहजदृश्य रूप से उस माल को अंतर्विष्ट करने वाले पैकेज पर चिन्हित किया गया है। "

(3) ऐसे माल का परेषक प्रचालक को एक लिखित सूचना देगा जिसमें माल की प्रकृति, भार और परिणाम तथा परेषिती का नाम व पूरा पता विनिर्दिष्ट किया जाएगा ; और प्रचालक माल को वायुयान पर रखे जाने से पूर्व उन समस्त विशिष्टियों की जानकारी वायुयान के पायलट-इन- कमांड को देगा ।

(4) जहाँ केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस नियम के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है या किया जाने वाला है, तो वह माल की प्रकृति की विस्तृत परीक्षण होने तक अथवा उस कार्रवाई के बारे में, यदि कोई हो, जो उस मामले में की जानी है, विनिश्चय होने तक प्रश्नगत माल को अपनी अभिरक्षा में रखवा सकेगा। "

[फा. सं. ए वी. 11012/2/2006-ए]

आर. के. सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पणः- मूल नियम अधिसूचना सं.वी 26, तारीख 23 मार्च, 1937 के द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और उनमें तारीख 29 मार्च, 2006 की सा.का.नि. संख्या 181 (अ), के द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2006

G.S.R. 601(E).— Whereas, the draft of proposal to amend the Aircraft Rules, 1937 was published by the Ministry of Civil Aviation vide its notification number G.S.R. 433(E), dated the20th July, 2006 as required by section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22of 1934), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to public;

And whereas copies of the said notification were made available to the public on the 20th July, 2006;

And whereas no objections or suggestions have been received from the public on the said draft;

3056 GI/06-4

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the said Aircraft Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely: -

1. (1) These rules may be called the Aircraft (..... Amendment) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft Rules, 1937, after rule 7B, the following rule shall be inserted, nameiy:–

"8. Carriage of arms, ammunition, explosives, military stores, etc. – (1) No person shall carry or cause or permit to be carried in any aircraft to, from, within or over India, any arms, ammunitions, munitions of war, implements of war, explosives and military stores, except with the written permission of the Central Government and subject to the terms and conditions of such permission.

(2) Where the carriage of any goods is permitted under sub-rule (1), it shall be the duty of the pilot, the consignor and every person concerned with the booking, handling or carriage of such goods, to take all precautions to avoid danger to the aircraft or to the persons on board or to any other person or property and in particular, to ensure that –

(a) the goods are so packed, protected and secured as to avoid any possibility of them being a source of danger;

(b) the goods are so carried as not be accessible to the passengers on board the aircraft; and

(c) the nature of the goods is clearly and conspicuously marked on the package containing them.

(3) The consignor of such goods shall give the operator a written notice specifying the nature, weight and quantity of the goods and the name and full address of the consignee; and the operator shall inform the pilot-in-command of the aircraft of all such particulars before the goods are placed on board the aircraft.

(4) Where any officer, authorised in this behalf by the Central Government, has reasons to believe that the provisions of this rule are, or are about to be, contravened, he may cause such goods to be placed under his custody pending detailed examination of the nature of the goods or pending a decision regarding the action, if any, to be taken in the matter."

[F. No. AV. 11012/2/2006-A]

R. K. SINGH, Jt. Secy.

Note.— The principal rules were published in the Official Gazette vide notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and was last amended vide number G.S.R. 181(E), dated the 29th March, 2006.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.